

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविर-माध्य/मा-स/पर्यावरण/2017-21/146  
 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
 एवं पदेन परियोजना समन्वयक  
 समग्र शिक्षा

दिनांक: ३०७.२१

**विषय :-** वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवरथा के रामबद्ध में।

**संदर्भ :-** प्रगुण शासन राजिव, रकूल शिक्षा, गापा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, जयपुर का पत्रांक : PS/PSSE/2021 दिनांक : 23.06.2021 एवं इस कार्यालय वा रागरांख्यक पत्रांक दिनांक : 11.06.21

उपर्युक्त विषयात्मक लेख है कि गान्धीय गुरुद्वाराओं के बाहरी वृक्षारोपण एवं व्यवरथा के रामबद्ध में पौधारोपण किए जाने ऐतु राज्यव्यापी वृहद् एवं व्यवरित वृक्षारोपण अभियान आरम्भ किए जाने बाबत् प्रदत्त निर्देशों के प्रभाग में “बा-बापू वृक्षारोपण अभियान” के तहत आगामी 05 जुलाई 2021 से 11 सितम्बर (सत्त्वाग्रह दिवारा) तक रामपूर्ण राज्य में विभिन्न विभागों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय से वृहद् पौधारोपण/वृक्षारोपण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक : 11.06.2021 द्वारा जारी किए गये थे। इन निर्देशों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. ऐसे सभरता विद्यालय, जिनका परिसर चारदिवारी द्वारा सुरक्षित है तथा नर्सरी लगाए जाने हेतु पर्याप्त भूमि तथा जल स्रोत उपलब्ध है, उनमें फलदार पौधों का रोपण तथा पोषण वाटिका का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी देखभाल विद्यालय की समिति/विद्यार्थियों के द्वारा की जाएगी।
2. यदि किसी विद्यालय परिसर में 200 पौधें लगाए जाते हैं, तो उनके रख-रखाव हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से एक श्रमिक उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सहभागि प्रदान की गई है। उक्तानुरूप संबंधित पीईईओ/संरक्षा प्रधान द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी से अग्रिम संपर्क-समन्वय स्थापित कर विद्यालय में लगाए जाने वाले पौधण वाटिका/नर्सरी की समुचित सुरक्षा/संरक्षा हेतु जरूरी एहतियाती उपाय किए जाने की सुनिश्चितता की जाएगी।

(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

**प्रतिलिपि :-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सविय, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सविय, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिशद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सविय, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समर्त संगारीय रायुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को आवश्यक प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
5. समर्त जिला शिक्षा अधिकारी (गुरुद्वारा) – गांधीगिक शिक्षा।
6. समर्त मुख्य व्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं व्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. सिरटम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च गांधीगिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रोष्ठेत करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(A6V)  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर